

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक: 5487/मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, जून 12

सेवा में,

2019

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

- 1-क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 05.03.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आइटम 37.3 यू.पी.)
- 2-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./663 दिनांक- 06.03.2019
- 3- आपका पत्र संख्या- 1745/11-सी-एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक- 07 मार्च 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 05.03.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4268/रेनुकूट/15-117 दिनांक 06.06.2019 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख चार प्रतियों में मय संस्तुति सहित निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है:-

क्रम संख्या	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक-05.03.2019 में उल्लिखित बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक- 28.05.2015 के निर्णय का अनुपालन।	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0)की बैठक दिनांक- 28.05.2015 के अनुपालन में कनहर सिचाई परियोजना के वर्तमान प्रस्ताव में मुख्य नहरों एवं प्रणालियों की समस्त नहरों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है।
2	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक- 30.08.2018 को दिये गये आदेश का अनुपालन।	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक- 30.08.2018 को दिये गये आदेश का अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है।
3	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि काफी अनियमित है अतः सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा वनरोपण हेतु चयनित भूमि की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र एवं समेकित के०एम०एल० फाइल	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण श्री के०के० तिवारी, वन संरक्षक, केन्द्रीय महोदय द्वारा दिनांक-24.05.2018 को किया गया था। स्थलीय निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक, केन्द्रीय द्वारा यह अवगत कराया गया था कि परियोजना में प्रभावित कुल 127.1637 हे० वन

		करायी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि 132.6126 हे० में पूर्व से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसके कारण वनीकरण की भूमि कम हो जायेगी। अतः कनहर परियोजना द्वारा 132.6126 हे० गैर वन भूमि के अलावा कुछ और गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उस पर भी वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किया जा सकें। वन संरक्षक, केन्द्रीय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कनहर परियोजना द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के विण्डमगंज रेंज अन्तर्गत ग्राम-कुदरी में 28.1482 हे० अतिरिक्त गैर वन भूमि क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु चयनित किया गया जिसके संबंध में रिपोर्ट आवश्यक अभिलेखों सहित भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष कनहर परियोजना द्वारा (132.6126 हे०, 28.1482 हे०) 160.7608 हे० समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित किये गये प्रमाण-पत्र की छाया प्रति तथा समेकित के०एम०एल० फाईल इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अभी तक प्रकरण में उल्लंघन नहीं हुआ है, सम्बन्धित अद्वतन प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाय	प्रश्नगत प्रकरण में अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस संबंध में <u>दोनों वन प्रभागों का अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न है।</u>

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के मामले में उपलब्ध करायी गयी वांछित सूचना/अभिलेख एतदसह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 17/6
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-4268/रेनुकूट/15-117 दिनांक 06.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।